यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **अगस्त्यमुनी**, **रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **अगस्त्यमुनी**, **रुद्रप्रयाग** के माह 06/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 16.11.2018 से 20.11.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन एवं श्रीमति मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.06.2015 से 18.06.2015 तक श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2- (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड अगस्त्यमुनी आता हैं । विकास खण्ड के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन चिकित्सा अधीक्षक के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(**रु**0 **लाख में**)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**बचत/ समर्पण**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	754.15	685.71	-	-	68.44	-
2016-17	813.47	771.14	-	-	42.33	-
2017-18	991.14	973.83	-	-	17.31	-
2018-19 (10/2018)	873.68	633.68	75000	-	-	-

(**ब**) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष**
2015-16	NHM	25.60	85.66	93.98	17.27
2016-17		17.27	132.85	128.53	21.59

2017-18	(RCH, Add. & Immunisation)	21.59	97.35	108.13	10.81
2018-19 (10/2018)		10.81	7.96	13.46	5.31

(रु0 लाख मे)

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं केंद्र योजना (NHM) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'c' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखंड,

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)

6). चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा, विगत लेखापरीक्षा (05/2012 से 05/2015) तक की अवधि को आच्छादित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **अगस्त्यमुनी**, **रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो –"ब"</u>

प्रस्तर 01: 30-**शैय्यायुक्त चिकित्सालय का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने के कारण गैर-कर राजस्व** (Non-Tax Revenue) **की हानि एवं त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव।**

सामान्य वित्तीय नियम-2017 **के** नियम-46 के अनुसार -"While the tax revenues, non-debt capital receipts including disinvestments and borrowings are managed by the various Departments of the Ministry of Finance, the non-tax revenues are collected through all Ministries/Departments and other autonomous bodies and implementing agencies and comprise an **important source of revenue for the Government**." एवं नियम 47 के अनुसार- "…'**User Charges' is an important component of the non-tax revenues.** Each Ministry/Department may undertake an exercise to identify the 'user charges' levied by it and publish the same on its website."

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) का निर्माण स्थानीय जनता को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र को अप्रैल 2012 से पृथक आहरण-वितरण का अधिकार प्राप्त हुआ। इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 30 शैया में से मात्र 15 शैया का ही उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) द्वारा किया जा रहा है। शेष 15 शैया वाले वार्डों में ताले बंद है अथवा भंडारण या अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। 30 शैया में से मात्र 15 शैया का ही उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनी द्वारा किये जाने के कारण यूजर चार्ज कम प्राप्त हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शैय्या-क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने से चिकित्सालय निर्मित कक्षों का उपयोग निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नहीं कर सका एवं सरकार को Non-Tax Revenues की भी हानि हुई।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि बजट एवं स्टाफ की कमी के कारण सभी शैय्याओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि आईपीडी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा-सेवा उपलब्ध कराना एवं निर्मित कक्षों का उपयोग उनके निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उत्तरदायित्व है, जिसमे कार्यालय सफल नहीं हो सका। बजट एवं स्टाफ का प्रकरण निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत करने में चिकित्सालय द्वारा शिथिलता बरती गई क्योंकि लेखापरीक्षा को वांछित पत्राचार उपलब्ध नहीं हो सका था।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनि इकाई का कार्य, मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवं दित्तीय स्तरीय की चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है तथा अधीनस्थ इकाइयों से यथा आवश्यक सूचनाए/ आकड़ें प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी , रुद्रप्रयाग एवं महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग

को प्रेषित करना है, तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवन करना है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित तीर्थ नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे धार्मिक यात्रियों का आवागमन होता है, केदारनाथ जनपद रुद्रप्रयाग मे ही स्थित है । ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी प्रबल होती है ऐसी स्थिति मे उक्त स्थान पर स्वास्थ सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ सेवाओं के सफल संचालन हेतु प्रयाप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

इकाई के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालय मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशानिक क्रमचरियों की अत्याधिक कमी थी,चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियो एवं उपकेन्द्रों के मिलाकर कुल 197 पद स्वीकृत थे उक्त स्वीकृत पदके सापेक्ष मात्र 133 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारी तैनात थे और 64 पद रिक्त थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पदों के रिक्त रहने का कारण शासन द्वारा तैनाती नहीं किया जाना है। अतः स्पष्ट है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनि कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे, ऊपर दिये हुए 197 पदो के सापेक्ष मात्र 133 पदो पर तैनाती हुई थी और 64 पद (32.5%) रिक्त थे, (पदवार विस्तृत विवरण संलगन)। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः 30-शैय्यायुक्त चिकित्सालय का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने के कारण गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) की हानि, एवं चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 02 : **धनराशि रु**0 92423/- **से अधिक के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामाग्री की नीलामी नहीं किया जाना।**

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्तसामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0**क**0 **उत्तराखण्ड के पत्रांक** 15**प/भण्डार**/6/2001/25 **दिनांक** 01 **जनवरी**, 2015 के अनुसार **फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय** के क्रम मे समस्त परिधिगत अधिकारी निष्प्रयोज्य घोषित उपकरण/ सामाग्री जिनका क्रय मूल्य **रु**0 25000.00 **से** 01.00 **लाख** है, का अपने अधीनस्थ चिकित्सा इकाई मे गठित समिति द्वारा सूची बनाकर आख्या सहित रिपोर्ट महानिदेशालय को उपलब्ध कराएगे । जिसको महानिदेशलय स्तर पर गठित समिति द्वारा नीलामी किए जाने हेतु निर्णय लिया जाएगा ।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनी के अवधि 06/2015 से 10/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे **निष्प्रयोज्य सामाग्री** से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2017 मे लगभग 51 उपकरण/सामग्रियाँ, **धनराशि रु**0 92423/- से अधिक के निष्प्रयोज्य/अप्रयुक्त पड़े हुये थे । जिसमे से 11 सामाग्रीयों का पुस्तकीय मूल्य अंकित नहीं था। अप्रयुक्त उपकरण/ सामग्रियों को वर्ष 2017 मे निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था। परन्तु वर्तमान (11/2018) तक नीलामी नहीं की गयी थी ।

उपरोक्त नियम मे स्पष्ट है कि उपकरण / सामग्रियों के फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय के क्रम मे समस्त परिधिगत अधिकारी निष्प्रयोज्य घोषित उपकरण/ सामग्री जिनका क्रय मूल्य **रु**0 25000.00 **से रु**0 01.00 **लाख** तक है, का अपने अधीनस्थ चिकित्सा इकाई मे गठित समिति द्वारा सूची बनाकर, आख्या सहित रिपोर्ट महानिदेशालय को उपलब्ध करायी जानी थी । जिसको महानिदेशलय स्तर पर गठित समिति द्वारा नीलाम किया जाना था। उसके पश्चात महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उक्त उपकरणों / सामग्रियों को नीलाम करने हेतु निर्णय लिया जाना था । परन्तु इकाई के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयास लेखापरीक्षा मे नहीं पाया गया था।

इकाई के द्वारा निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्रियों की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम स्वरूप उक्त निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्रियों के वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्रियों के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व कि अप्रत्यक्ष हानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकडों की पुष्टि करते हुये स्वीकार किया कि समिति बनाकर अतिशीघ्र निष्प्रज्य उपकरण/सामग्री की सूची महानिदेशालय को नीलामी हेतु प्रेषित की जाएगी। इकाई के द्वारा उक्त नियमानुसार निष्प्रयोज्य उकरण/सामग्री की नीलामी नहीं की गयी थी जिसके कारण उक्त सामग्रियों का दिन प्रति दिन मूल्य ह्रास हो रहा था।

अत: धनराशि रु0 92423/- मूल्य से अधिक के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्री की नीलामी नहीं की जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग</u>-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0)	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
48/2015-16	-	1,2,3 एवं 4	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
48/2015-16	-	1,2,3 एवं 4	01	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---

<u>भाग</u>-<u>IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

<u>भाग</u>-V

<u>आभार</u>

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंध सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **अगस्त्यमुनी**, **रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

(i) विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या - अप्रस्तुत।

(ii) **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3- **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया** -

क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	डा0 विशाल वर्मा	चिकित्सा अधीक्षक	18.06.2015 से 11.10.2015
02	डा0 हरेन्द्र मलीक	चिकित्सा अधीक्षक	12.10.2015 से 09.06.2016
03	डा0 ओ0पी0 आर्य	चिकित्सा अधीक्षक	10.06.2016 से 31.03.2017
04	डा0 आशुतोष कुमार	चिकित्सा अधीक्षक	01.04.2017 से 09.08.2017
05	डा0 नीतू तोमर	चिकित्सा अधीक्षक	10.08.2017 से 31.08.2018
06	डा0 संजय कुमार	चिकित्सा अधीक्षक	01.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **चिकित्सा अधीक्षक**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **अगस्त्यमुनी**, **रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.